

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

समायोजन आदेश अध्यापक लेवल 1

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उम्रावि/प्रावि के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 1 के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्रस	6डी सूचीक्रमांक	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	839	चन्द्रकान्ता वैष्णव	रामावि बडोदिया	राउमावि म0न0। कोटा	विधवा	F	05.07.77
2	1007	निर्मला कुमारी	राउमावि रेलगाँव	राबामावि कन्सुवा कोटा	विधवा	F	10.6.63
3	1267	निर्मला राय	राउमावि रेलगाँव	रामावि सन्तोषीनगर क0ब0	विधवा	F	28.10.65
4	1415	शिमला कुमारी बैरवा	राउमावि नौताडा मालियान	रामावि पुलिसलाईन कोटा	विधवा	F	1.7.84
5	147	नीलू मंडौरा	राउमावि चौमा	राउमावि देवलीअरब कोटा		F	20.11.73
6	149	कृष्णा गौतम	राबाउमावि मण्डाना	राउमावि केशवपुरा कोटा		F	07.07.67
7	343	अनिता गुप्ता	राउमावि कैथून	राबाउमावि बल्लभनगर कोटा		F	20.02.72
8	390	सुषमान्जू जोशी	राउमावि विनायका	राउमावि केशवपुरा कोटा		F	08.03.70
9	541	मंजुलता शर्मा	राउमावि सुल्तानपुर	राबाउमावि बल्लभनगर कोटा		F	19.5.66
10	698	कमलेश मीणा	राउमावि चौमा	राउमावि वो0 नयापुरा कोटा		F	14.8.77
11	1138	लाडकंवर गोचर	राउमावि सुल्तानपुर	राउमावि शिवपुरा कोटा		F	25.1.80
12	99	मदनलाल बैरवा	राउमावि ख्यावदा	राबाउमावि अयाना ईटावा		M	10.07.72
13	193	प्रमोद शर्मा	राउमावि कैथून	राबामावि विनोबाभावे नगर कोटा		M	20.06.70

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति एन्जलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

दिनांक : 4.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/164
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति एन्जलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

समायोजन आदेश अध्यापक लेवल 2 हिन्दी

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उप्रावि/प्रावि के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 2 हिन्दी के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र.सं.	6डी सूची क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	1165	नीता बूलीवाल	राबाउमावि बल्लभनगर	राबाउमावि छोटीमहारानी कोटा	दिव्यांग	F	05.07.80
2	181	बीना भाटिया	रामावि गलाना	राबाउमावि म0न0।।। कोटा	विधवा	F	10.07.66
3	252	संतोष दुबे	राउमावि खेडलीचेचट	राउमावि बालाकुण्ड कोटा		F	24.10.58
4	373	प्रमिला सिंह	राबाउमावि बल्लभनगर	राबाउमावि तलवण्डी कोटा		F	15.03.68
5	481	सोनिया शर्मा	राबाउमावि बल्लभनगर	रामावि थंगडा कोटा		F	28.05.68
6	858	रतन कुमारी सुथार	राउमावि विनायका	राउमावि केशवपुरा कोटा		F	31.12.80
7	1164	अमलेश कुमारी	राबाउमावि चेचट	रामावि सकतपुरा कोटा		F	02.04.82
8	1253	उषा मेडतवाल	रामावि बोरदा	रामावि हनुमानबस्ती कोटा		F	15.10.73
9	1264	प्रेरणा पारेता	राबाउमावि कनवास	राउमावि बास्याहेडी सांगोद		F	29.10.81
10	728	रघुनन्दन गोत्तम	राउमावि सारोला	राउमावि सीमल्या सुल्तानपुर		M	20.11.66
11	869	संतोष कुमार मीणा	रामावि बोरदा	रामावि धर्मपुरा कोटा		M	13.08.69
12	902	ओम प्रकाश पंचोली	राबाउमावि चेचट	राउमावि देवलीखुर्द खैराबाद		M	19.10.78
13	905	प्रदीप चौहान	राउमावि रनोदिया	राउमावि कोलाना इटावा		M	25.11.82
14	1051	राजेन्द्र प्रसाद	राउमावि बोरीना	राउमावि चेचट खैराबाद		M	30.10.79

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को दें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति एन्जिलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

दिनांक : 4.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/ 162

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति एन्जिलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

समायोजन आदेश

अध्यापक लेवल 2 संस्कृत

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उप्रावि/प्रावि के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 2 संस्कृत के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र.स.	6डी क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	1225	अर्चना विजय	राबाउमावि विज्ञाननगर	रामावि कादीहेडा	कैसर	F	28.07.77
2	918	मंजूलता दीक्षित	राउमावि सावनभादो	रामावि तेलियाखेडी	परित्यक्ता	F	30.12.58
3	349	वंदना गर्ग	रावोकेशनल उमावि नयापुरा	राबाउमावि सुकेत		F	23.05.67
4	132	संज्ञा शर्मा	राबाउमावि कुन्हाडी	राउमावि कुम्भकोट		F	10.07.71
5	763	हेमलता विजय	राबाउमावि बल्लभनगर	राउमावि कोटडादीपसिंह		F	14.11.75
6	1187	छगनलाल गुवारिया	राउमावि लुहावद	राउमावि ककरावदा		M	01.07.75

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 13.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति पुञ्जलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा
दिनांक : 3.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/157
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति पुञ्जलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

समायोजन आदेश

अध्यापक लेवल 2 विज्ञान

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उप्रावि/प्रावि के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 2 विज्ञान के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्रस	6डी की सूची का क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	2	4	3	4	7	5	6
1	439	कविता जैन	राबाउमावि विज्ञाननगर	राबाउमावि बल्लभनगर कोटा		F	18.01.61

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति पुन्जलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

दिनांक : 4.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/ 161
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति पुन्जलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

समायोजन आदेश

अध्यापक लेवल 2 सामाजिक

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17 शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रम शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उम्मीदवार/प्र के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 2 सामाजिक के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैंप में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंतिम विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र.सं.	6डी की सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	2	4			7	5	6
1	913	श्वेता शर्मा	राबाउमावि मण्डाना	रामावि केशवपुरा से0 2/3 कोटा	परित्यक्ता	F	21.11.69
2	432	मन्जूलता शर्मा	रामावि चन्द्रेसल	राउमावि केशवपुरा आवासन मण्डल कोटा		F	14.11.57
3	619	सीमा शेखावत	राबाउमावि विज्ञाननगर	राबाउमावि म0न0।।। कोटा		F	08.07.75
4	1063	कौशल्या बोकन	राउमावि मण्डाना	राबामावि उद्योगनगर कोटा		F	12.10.79
5	617	गजेन्द्र सिंह राजावत	रामावि चन्द्रेसल	रामावि झालीपुरा कोटा		M	05.01.68

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करके संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करें एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति एन्जेलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा
दिनांक : 4.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/163
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति एन्जेलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उप्रावि/प्रावि के 3 बी के शारीरिक शिक्षक ग्रेड III को समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में अनुपस्थित रहने पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	लिंग	जन्मतिथि
1	शमीउल्लाह खॉ	शाशि III	राबाउमावि बल्लभनगर	रामावि नान्तामहल कोटा	M	1-7-1957

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 13.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति एम्जिलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा
दिनांक : 3.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/ 158

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति एम्जिलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा